

पंचायती राज मंत्रालय

जून, 2018 का मासिक सारांश

- 1) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित योजना के कार्यान्वयन के लिए मसौदा ढांचे पर चर्चा करने के लिए एक दो दिवसीय गहन राष्ट्रीय सलाहकार कार्यशाला 4-5 जून, 2018 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर), हैदराबाद में आयोजित की गई थी। 28 राज्यों के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों, एसआईआरडी और राज्यों के चयनित सरपंचों ने सक्रिय रूप से विचार-विमर्श में भाग लिया और नई पुनर्गठित योजना आरजीएसए के ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और पंचायत एंटरप्राइज सूइट (पीईएस) अनुप्रयोगों और पंचायतों के प्रोत्साहन की योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के मसौदे पर भी चर्चा की गई।
- 2) संयुक्त सचिव (सीवी और आईसी), पंचायती राज मंत्रालय ने 28 से 29 जून, 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी लंदन में सहकारी शासन और पारंपरिक मामला विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स मैत्री शहरों और स्थानीय सरकारी सहयोग शहरीकरण फोरम में भाग लिया। फोरम के दौरान, सदस्य देशों के अधिकारी ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा में शामिल हुए।
- 3) इस महीने के दौरान, इस मंत्रालय का व्यापक ज्ञापन जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के कामकाज और वित्त सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार और इनपुट शामिल हैं, को 15 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में, मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य शासित क्षेत्रों, गैर भाग IX क्षेत्रों में पारंपरिक निकायों में पंचायतों के सभी तीन स्तरों को अनुदान आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्ष 2020-25 पुरस्कार अवधि के दौरान पंचायत और पारंपरिक निकायों को 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- 4) भूमि संसाधन विभाग ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कुछ भूमि संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए 26 जून, 2018 को एक बैठक आयोजित की। इस मंत्रालय के अपर सचिव महोदय ने बैठक के विचार-विमर्श में भाग लिया। उन्होंने पीईएसए अधिनियम के महत्व की व्याख्या की और इसके सफल कार्यान्वयन को विस्तारित किया तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया।
- 5) इस माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में आंध्र प्रदेश को 858.99 करोड़ रुपये, गुजरात को 862.68 करोड़ रुपये, सिक्किम को 14.835 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 33.535 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 3574.37 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की सिफारिश की है। एमओपीआर ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भी ओडिशा को 196.40 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 304.28 करोड़ रुपये के निष्पादन अनुदान की राशि जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है।
- 6) इस माह के दौरान, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मणिपुर को मूल अनुदान की दूसरी किस्त के लिए 17.795 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आंध्र प्रदेश हेतु मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 858.99 करोड़ रुपये, झारखंड के लिए 604.12 करोड़ रुपये, केरल के लिए 401.39 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 1502.19 करोड़, ओडिशा के लिए 884.22 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 1362.11 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 537.04 करोड़ रुपये, उत्तराखंड के लिए 188.10 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 3574.37 करोड़ रुपये जारी किए। एमओएफ ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कर्नाटक को 204.08 करोड़ रुपये की निष्पादन अनुदान राशि जारी की।
- 7) वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत 29942.87 करोड़ रुपये के मूल अनुदान के आवंटन की तुलना में 28600.45 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2017-18 के लिए 34596.26 करोड़ के आवंटन की तुलना में 31316.82 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 के

- लिए 40021.63 करोड़ रुपये की तुलना में 9912.52 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2016-17 के लिए 3927.65 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 34 99.45 करोड़ रुपये निष्पादन अनुदान के रूप में जारी किए गए। वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1106.90 करोड़ रुपये निष्पादन अनुदान के रूप में जारी किए गए।
- 8) विभिन्न उपायों के तहत पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का पूरे जोर के साथ अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18, ग्राम पंचायत / विक्रेता पंजीकरण के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाते को बंद करने के लिए राज्यों का अनुसरण करने हेतु कई वीडियो सम्मेलन आयोजित किए। वर्ष 2017-18 के लिए, 50% ग्राम पंचायतों ने अपने खाते पीएफएमएस पर बंद कर दिए और लगभग 45000 ग्राम पंचायतों ने पीएफएमएस पर अपना पंजीकरण कराया। शेष ग्राम पंचायतें इसकी प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, ई-एफएमएस और पीएफएमएस पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम, 18 जून से 22 जून तक एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद में एनआईआरडी और पीआर के साथ समन्वय में आयोजित किया गया था।
- 9) स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) अनुप्रयोग से संबंधित विभिन्न कार्रवाइयों एवं विषयों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी के साथ 19 जून, 2018 को एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके अलावा, दिशा (डीआईएसएचए) सप्ताह के दौरान एमओआरडी द्वारा आयोजित 26 जून 2018 और 28 जून 2018 को कार्यशाला में विभिन्न योजनाओं / ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में एलजीडी कोड को स्थापित करने की मौजूदा और विस्तृत स्थिति पर विस्तृत रूप से प्रस्तुतिकरण पेश किए गए थे।
- 10) ब्लॉक से गांवों तक मानचित्रण न होना विकास कार्यों के लिए एलजीडी का उपयोग करने में एक गंभीर बाधा थी। इस मामले को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में बाधा के रूप में उजागर किया गया था। राज्यों / राज्य संघ क्षेत्रों के साथ लगातार अनुवर्ती के कारण 99.95% गांव (भारत में 655096 गांवों में से) को संबंधित ब्लॉक और ग्राम पंचायत के साथ मैप किया गया है।

Ministry panchayati Raj
Monthly Summary for the month of June, 2018

1. A two-day comprehensive National Consultative Workshop to deliberate the draft framework for implementation of restructured scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) was held during 4 - 5 June, 2018 at National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad. Representatives from 28 States comprising officers from Panchayati Raj Departments, SIRDs and selected Sarpanches of States actively participated in the deliberation and expressed their views on various aspects of the framework of newly restructured scheme RGSA. Further, discussions were also held on draft revised guidelines of Gram Panchayat Development Plan (GPD) and Panchayat Enterprise Suit (PES) applications and the scheme of Incentivisation of Panchayats.

2. Joint Secretary (CB&IC), MoPR participated in the BRICS Friendship Cities and Local Government Cooperation Urbanisation Forum, hosted by the Department of Cooperative Governance and traditional Affairs, at East London, South Africa from 28th to 29th June, 2018. During the Forum, the officials from member countries engaged for discussions on areas of mutual cooperation at the local and regional level among BRICS countries.
3. During the month, comprehensive memorandum of this Ministry containing views and inputs in various aspects including functioning and finances of Rural Local Bodies has been submitted to 15th Finance Commission. In the Memorandum, Ministry has proposed allocation of grants to all three tiers of Panchayats in States and UTs, Traditional Bodies in Non Part IX Areas. Allocation to the tune of Rs. 10 lakh crore to the Panchayats and Traditional Bodies during the award period 2020-25 has been proposed.
4. Department of Land Resources has organised a meeting on 26th June, 2018 to discuss certain Land related issues at Thiruvananthapuram, Kerala. Additional Secretary of this Ministry participated in the deliberation of the meeting. He explained the importance of PESA Act and elaborated its successful implementation and responded to queries of the participants.
5. During the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of first instalment of Basic Grant of Rs. 858.99 crore to Andhra Pradesh, Rs, 862.68 crore to Gujarat, Rs. 14.835 crore to Sikkim, Rs. 33.535 crore to Tripura and Rs. 3574.37 crore to Uttar Pradesh for FY 2018-19. MoPR has also recommended to MoF for release of Performance Grant of Rs. 196.40 crore to Odisha and Rs. 304.28 crore to West Bengal for FY 2017-18.
6. During the month, MoF released 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 17.795 crore to Manipur for FY 2017-18, 1st instalment of Basic Grant of Rs. 858.99 crore to Andhra Pradesh, Rs. 604.12 crore to Jharkhand, 401.39 crore to Kerala, Rs. 1502.19 crore to Maharashtra, Rs, 884.22 crore to Odisha, Rs. 1362.11 crore to Rajasthan, Rs. 537.04 crore to Telangana, Rs. 188.10 crore to Utrkhand and Rs. 3574.37 crore to Uttar Pradesh for FY 2018-19. MoF also released Performance Grant of Rs. 204.08 crore to Karnataka for FY 2017-18.
7. The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 is Rs. 28600.45 crore against the allocation of Rs. 29942.87 crore, during 2017-18 is Rs. 31316.82 crore against the allocation of Rs. 34596.26 crore and it is Rs.9912.52 crore against the allocation of Rs.40021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3499.45 crore against the allocation of Rs. 3927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore, for the year 2017-18.
8. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regards, the Ministry conducted several video conferences, pursuing the States for closure of account on PRIASoft for FY 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 50% of the Gram Panchayats have closed their account books and around 45000 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of

the same. Further, a Training-of-Trainers (ToT) program on e-FMS & PFMS was conducted in co-ordination with NIRD & PR from June 18 – 22, 2018 at NIRD & PR, Hyderabad.

9. A video conference was held on June 19, 2018 with the Nodal Officers of Panchayati Raj Department from States/UTs to review the progress made by them on various action items related to Local Government Directory (LGD) application. Furthermore, detailed presentations were made on LGD application and on the current status of seeding of LGD codes in various schemes/ e-Governance applications in the workshop, on 26th June 2018 and 28th June 2018, organized by MoRD during DISHA week.
10. Un-mapping of villages to Block was a serious limitation in using LGD for developmental works. This matter was highlighted as an obstacle in implementing Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. With continuous follow-up with States/UTs, 99.95% villages (out of 655096 villages in India) has been mapped with respective Block & Gram Panchayat
